न्यायालय बइजलास अम्बालाल मीना (आर ए एस) कोर्ट कैम्प

दांता उपखण्ड कनवास जिला कोटा राजस्थान

मिसल नंबर 205/14 दावा   निर्णय दिंनाक 02.07.20152015

बउनवान :–

1. देवलाल पुत्र कालूलाल उम्र जाति नायक निवासी ग्राम बरखेडा तहसील कनवास जिला कोटा।

बनाम

1. रामजानकी बाई पत्नी सत्यनारायण उम्र 47 वर्ष जाति गर्जर निवासी ग्राम मण्डाना तहसील कनवास।
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार कनवास।

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251 (क) आर0टी0एक्ट

निर्णय   दिंनाक 02.07.2015

प्राथी द्वारा जर्ये एडवोकेट महेश कुमार मालव प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी माल ग्राम बरखेडा पटवार हल्का दांता तहसील कनवास जिला कोटा में खसरा नंबर 548 की 0.01 हैक्टर खसरा नंबर 549 की 0.06 हैक्टर खसरा नंबर 551 की 0.70 हैक्टर खसरा नंबर 561 की 0.59 हैक्टर कुल किता 4 की कुल रकबा 1.36 हैक्टर आराजी स्थित है।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के पेरा नंबर 1 में वर्णित आराजी में आने जाने व कृषि उपकरण ट्रेक्टर ट्रोली इत्यादि लाने ले अजाने का रास्ता सदैव से अप्रार्थी क्रम 1 की आराजी खसरा नंबर 545, 544 के पूर्व दिशा में स्थित खाल नाला के सहारे – सहारे स्थित सार्वजनिक रास्ते से होकर अप्रार्थी क्रम 1 के खाते की आराजी खसरा नंबर 545 में होकर 544 की दक्षिणी मेड से होकर सीधे प्रार्थी के खेत मे जाता है जो खाल नाला के सहारे – सहारे से पूर्व से पश्चिम सीधा स्थित है।

अप्रार्थी नंबर 1 ने उसके खाते की उक्त आराजी साल भर पहले ही पूर्व खातेदारान कन्हैयालाल, कैलाश, अर्जुन , राजू पुत्रान उच्छव बाई पुत्री कन्याबाई बेवा हीरा जाति नाथ निवासी बरखेडा से खरीदी है। अप्रार्थी क्रम 1 के उक्त आराजी खरीद से पूर्व भी प्रार्थी उक्त वर्णित रास्ते से अपने खेत तक आता जाता रहा है।

अप्रार्थी नंबर 1 ने उक्त आराजी 1 वर्ष पूर्व खरीदते ही उसने प्रार्थी के उक्त वर्णित रास्ते को कोट करके बंद कर दिया और प्रार्थी को अप्रार्थी क्रम 1 व उसके पति

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)

सत्यनारायण ने उक्त वर्णित रास्ते से निकलने व कृषि उपकरण ट्रैक्टर , ट्रोली इत्यादि लाने ले जाने व हांकने जोतने जाने से साफ मना कर दिया और धमकी दी कि यह खेत हमने खरीद लिया है अब उक्त रास्ते स`मत निकलना अन्यथा बात ठीक नही होगी।

राजस्व रेकार्ड में उक्त वर्णित रास्ता दर्ज नंही होने से अप्रार्थी क्रम 1 ने जबरन ताकत के बल पर उक्त रास्ते को अवरूद कर दिया है।

दिनांक 02.07.2015 को पत्रावली राजस्व लोक अदालत केम्प कोर्ट ग्राम पंचात दाता में अवलोकनार्थ हेतु रखी गई। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज नकल जमाबन्दी ग्राम बरखेडा सम्वत 2069–72 अनुसार आराजी खसरा नंबर 548 की 0.01, 549 की 0.06 551 की 0.70 561 की 0.59 हेक्टर भूमि कुल किता 4 की 1.36 हैक्टर वादी के खाते दर्ज है तथा ग्राम बरखेडा की नकल जमाबन्दी सम्वत 2069–2072 अनुसार आराजी खसरा नंबर 543 की 0.17 खसरा नंबर 544 की 0.10 खसरा नंबर 545 की 0.01 खसरा नंबर 562 की 0.05 खसरा नंबर 563 की 0.79 कुल किता 5 की 1.12 हैक्टर प्रतिवादी के खाते दर्ज है। जिसका नक्शा ट्रैस एवं दस्तावेज पत्रावली में संलग्न है।

उक्त प्रा.पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी की तलबी की गई अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र दिंनाक 05.12.2014 को पेश किया गया। पत्रावली राजस्व लोक अदालत केम्प दांता में पेश हुयी। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। मजमेआम में प्राप्त जानकारी एवं पटवारी हल्का से प्राप्त मौका रिर्पोट से जाहिर होता है, कि प्रार्थी की आराजी खसरा नंबर 548 की 0.01 हैक्टर खसरा नंबर 549 की 0.06 खसरा नंबर 551 की 0.70 खसरा नंबर 561 की 0.59 कुल किता 4 की कुल रकबा 1.36 हैक्टर आराजी में प्रार्थी सदेव से अप्रार्थी क्रम 1 की आराजी खसरा नंबर 545, 544 के पूर्व दिशा में स्थित खाल (नाला) के सहारे – सहारे स्थित सार्वजानिक रास्ते से होकर अप्रार्थी क्रम 1 के खाते की आराजी खसरा नंबर 545 से होकर खसरा नंबर 544 की दक्षिणी मेड से होकर सीधे प्रार्थी के खेत में आता जाता रहा है। तथा यह भी बताया कि प्रार्थी सडक से होता हुआ इस रास्ते से अपने खेत को हॉकने जोतने हेतु कृषि उपकरण लाता ले जाता रहा है। मजमेआम में ग्राम वासीयान से प्राप्त जानकारी अनुसार भी प्रार्थी का इसी रास्ते से सदैव आना–जाना बताया गया है। इसके अलावा प्रार्थी के खेत में आने जाने का कोई वैकल्पिक रास्ता नंही है।

पत्रावनी का गहनता पूर्वक अवलोकन किया गया, प्रस्तुत साक्ष्य एवं रिर्पोट पटवारी हल्का दांता व लोक अदालत केम्प कोर्ट दांता के मजमेआम में प्राप्त जानकारी अनुसार प्रार्थी के खेत में आने जाने का सदैव से प्रचलित रास्ता अप्रार्थी क्रम एक की खाते की आराजी खसरा नंबर 545 , 544 के पूर्व दिशा में स्थित सरकारी खाल (नाला) के सहारे सहारे स्थित सार्वजनिक रास्ते से होकर अप्रार्थी क्रम 1 के खेत की आराजी खसरा नंबर 545 में होकर खसरा नंबर 544 की दक्षिण मेढ से होकर सीधे प्रार्थी के खेत में आता जाता रहा है। जो नाले के सहारे–सहारे स्थित रास्ते से पूर्व से पश्चिम को सीधा जाता

है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी के खेत में आने – जाने का ओर कोई वैकल्पिक रास्ता नंही है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है, कि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की माल ग्राम बरखेडा पटवार हल्का दांता तहसील कनवास जिला कोटा में स्थित आराजी खसरा नंबर 548 की 0.01 हैक्टर खसरा नंबर 549 की 0.06 है0 खसरा नंबर 551 की 0.70 है0 खसरा नंबर 561 की 0.59 है0 कुल किता 4 की कुल रकबा 1.36 हैक्टर भूमि में आने जाने व ट्रैक्टर ट्राली कृषि उपकरण फसल इत्यादि लाने ले जाने के लिए अप्रार्थी क्रम एक के खाते की आराजी खसरा नंबर 545, 544 के पूर्व में स्थित खाल (नाले) के सहारे स्थित आम रास्ते से होकर पूर्व से पश्चिम की ओर खसरा नंबर 545 व 544 की दक्षिणी मेढ के सहारे होकर सीधे प्रार्थी की उक्त आराजी तक 12 फुट चौडा रास्ता कायम किया जावे व राजस्व रेकार्ड में उक्त रास्ते को गै0 मु0 रास्त दर्ज किया जावे। साथ ही यह भी आदेश दिया जाता है, कि प्रार्थी के खेत में आने जाने के उक्त रास्ते के उपयोग–उपभोग में अप्रार्थी नंबर 1 किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नंही करेगा। नाही अपने किन्ही प्रतिनिधियों से ऐसा करवायेगा और अप्रार्थी नंबर 1 के खाते की उक्त वर्णित आराजी खसरा नंबर 545 व 544 में से 12 x 200 = 2400 वर्ग फीट भूमि जो प्रार्थी के आने जाने के रास्ते के लिये ली गई भूमि है। यह भूमि लगभग 0.03 हैक्टर होती है इस भूमि की प्रचलित डी एल सी दर 78600/– प्रति बीघा के हिसाब से तीन गुना कुल राशि रूपये 44212.50/– या रूपये 44213/– का प्रतिफल प्रार्थी देवलाल अप्रार्थी नंबर 1 जानकीबाई को अदा करेगा, जो न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अप्रार्थी नंबर 01 को अदा किया जायेगा।

यह निर्णय आज दिनांक 02.07.2015 को मजमेआम में खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अम्बालाल मीना
(आर ए एस)
उपखण्ड मजिस्ट्रैट
कनवास

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)